

11.02.2026 वाकिल वादी अनुपस्थित / न्यायालय समय की समाप्ति तक
पृथक-पृथक समय में वाकिल मप वादी को आवान
दिलवाई गई। लेकिन वाकिल व वादी में से कोई
उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा वादी का वाद अदम
पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।
फावमी फैसल सुमार होकर शायद इफ्तार है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा